भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 01AA 603491

[illegible]

[illegible] 2019 [illegible]

सत्यमेव जयते

3-7-6

स्टाम्प विक्रय की तिथि ....

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन :..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता :..........

स्टाम्प की धनराशि ....

स्टाम्प विक्रेता का नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव

लाइसेंस नम्बर 62/182/77/49

लाइसेंस अवधि 1-4-02 से 31-3-07

अधिकृत कार्य करने का स्थान एव पता दीवानी कचहरी वाराणसी

Scanned by PDF Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 603490

फाईल नं०

सत्यमेव जयते

वाराणसी

2968

स्टाम्प विक्रय की तिथि [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता [illegible]

स्टाम्प का मूल्य [illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम [illegible]

लाइसेंस नम्बर [illegible]

लाइसेंस अवधि 1-4-02 से [illegible]-07

जहाँ विक्रय करने का स्थान एव पता दीवानी कचहरी. वाराणसी

Scanned by PDF Scanner

स्मृति – पत्र

1– संस्था का नाम– पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास एवं जनकल्याण संस्था

2– संस्था का पूरा पता– ग्राम– हँसी, पोस्ट–पारा मुहम्मदाबाद, जनपद– गाजीपुर (उ.प्र.)

3– संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत ।

4– संस्था का उद्देश्य–

1. वैदिक धर्म का प्रचार–प्रसार, यज्ञ, अनुष्ठान आदि कार्यों का आयोजन एवं संपादन, ज्योतिष विद्या का प्रचार–प्रसार मार्गदर्शन, योग साधना केन्द्र का संचालन एवं योग विद्या का प्रचार–प्रसार।
2. समाज एवं व्यक्ति में देश–प्रेम, चरित्र निर्माण एवं नैतिकता को जागृत करने का कार्य, राष्ट्र के साझा संस्कृति का प्रचार–प्रसार, अनुपालन एवं उसकी समुचित सुरक्षा और संवर्द्धन करना, साम्राज्यवाद, आतंकवाद, आणविक एवं रासायनिक हथियारों के विरूद्ध जन जागरण करना।
3. छुआ छूत के खिलाफ जागरण, पर्यावरण की संरक्षा, सुरक्षा और संवर्धन का कार्य, अन्ध विश्वास और पाखण्ड के खिलाफ जनजागरण, दलित वनवासी और महिलाओं के सामाजिक एवं नैतिक उत्थान का कार्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह रोकने, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने, दहेज प्रथा के समूल विनाश का कार्य और कन्या भ्रूण हत्या बन्द करने एवं लिंग भेद को रोकने और मानसिक, शारीरिक स्तर से विकलांग व्यक्तियों के लिये रोजगार हेतु कार्य करना, विकलांग जनों की सेवा, उन्हें सहयोग और उनके बेहतर जीवन निर्वहन के लिये साधन उपलब्ध कराना और उनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना। निर्धन एवं साधन हिन लोगों को स्वयं आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्य करना।
4. साम्प्रदायिक सद्भाव, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं आपसी भाई चारे के लिये कार्य करना, मानवाधिकारों के प्रति जनमानस में जागरण, प्रचार–प्रसार, बाल श्रम को रोकने हेतु जन जागरण और प्रचार–प्रसार का अभियान चलाना।
5. उसर परती सुधार के कार्यों का संचालन, बंजर भूमि सुधार का कार्य, जल संभरण एवं सबको शुद्ध पेयजल उलपब्ध कराने का प्रयास करना, जल–प्रदूषण रोकने के लिये अभियान चलाकर प्रचार–प्रसार का कार्य करना।
6. उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरण पैदा करना, उपभोक्ता न्याय के लिये कार्य करना, निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण की रोकथाम के लिये कार्य करना, सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिये कार्य करना। बेरोजगारी, बचत एवं रोजगार के लिये मार्ग दर्शन और आम जनता के मौलिक अधिकारों के लिये कार्य करना।
7. प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था, उनका संचालन, तकनीकी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, तकनीकी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, नैतिक शिक्षा का प्रचार, अनौपचारिक शिक्षा का संचालन, आर्युवेद एवं होमियोपैथिक चिकित्सा का प्रचार–प्रसार, चिकित्सा केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना, देशी जड़ी–बूटियों का संरक्षण एवं संवर्धन, खादी एवं ग्रमोद्योग का प्रचार–प्रसार, ग्रामोद्योग की स्थापना, उत्पादन एवं प्रचार–प्रसार का कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं
चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

Scanned by PDF Scanner

8. लोक कलायें, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार–प्रसार संरक्षण एवं संवर्धन, लोक गीत, लोक परम्परा एवं लोक संस्कृति का प्रचार–प्रसार, संरक्षण एवं सवर्धन, मद्य निषेध का कार्य करना, लोक साहित्य के प्रचार–प्रसार हेतु कार्य, पत्र–पत्रिकाओं आदि का निःशुल्क प्रकाशन एवं प्रचार–प्रसार का कार्य करना।

9. संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में पोलियो उन्मूलन, परिवार नियोजन, निःशुल्क नशाबन्दी, टीकाकरण, नेत्र आपरेशन, कुष्ठ निवारण एच.आई.वी. अपंगता, एड्स आदि को समाप्त करने के लिए यूनीसेफ, नाबार्ड, डूडा, सूडा, सिप्सा, डब्लू.एच.ओ. से सहायता से कार्यक्रमों का संचालन करना तथा क्षय, अन्धापन, कुपोषण व परिवार नियोजन सम्बन्धित जानकारियों के लिए जगह–जगह कैम्प लगाना।

10. कुष्ठ रोग के खिलाफ अभियान, जन जागरण, पोलियो, एड्स, तपैदिक एवं अन्य संक्रमित बीमारियों के खिलाफ आम जन में जागरण, प्रचार–प्रसार, स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से शासन द्वारा समय–समय पर चलाये जा रहे कार्यक्रमों को संचालित करना और उनका प्रचार–प्रसार करना।

11. संस्था उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज कल्याण विभाग केन्द्रीय व प्रादेशिक समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित, विधवा, विकलांग, वृद्धाश्रम, बालश्रम जनजाति, पिछड़ी जाति, अनाथ लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करना तथा क्षेत्र विशेष में आवश्यकतानुसार संचालित करना।

12. संस्था प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना तथा सरकारी तंत्रों से मिलने वाली सहायता से संचालन में सहयोग एवं सामाजिक, धार्मिक तथा नारी उत्थान व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।

13. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु सरकार द्वारा समस्त योजनाओं को संचालित करना तथा इसके अनुरूप व्यवस्थित कार्यों का निरीक्षण करना। निःशुल्क पेयजल, शौचालय, मूत्रालय, आवास, सफाई तथा आवागमन हेतु सड़क, नाली आदि का निर्माण करना।

14. संस्था कृषि उत्पाद सम्बन्धी एवं सामाजिक लाभ हेतु सरकारी, गैर सरकारी, स्थाई कृषि कार्यक्रम, कम्पोस्ट, मछलीपालन, मुर्गी पालन, सुअरपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, जैविक खाद, जैव कीटनाशी, डेयरी, बागवानी एवं पर्यावरण संरक्षण, जीव संरक्षण के कार्यक्रम के साथ कृषि उत्पादन का सही व जायज मूल्य प्राप्ति कार्य करना। अच्छे नस्ल के पशुओं के बारे में जानकारी करना।

15. हर्बल प्रोडक्ट तैयार करवाना तथा उनके विपणन की जानकारी उपलब्ध करना।

16. बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे– सौन्दर्य (ब्यूटी पार्लर), सिलाई–कढ़ाई, पेन्टिंग, मेहदी, फ्लावर मेकिंग टेक्सटाइल, डिजाइन आदि कार्यों का विधिवत संचालन करना।

17. जन साधारण में अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और सबके लिये शिक्षा की व्यवस्था हेतु कार्य करना।

18. विभिन्न प्रकार के खेल–कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।

19. स्वर्ण जयन्ती स्वरोज योजना के अन्तर्गत कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं
चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

Scanned by PDF Scanner

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
	2	3	4	5	6
1.	उमाशंकर सिंह कुशवाह	स्व. मोहन सिंह कुशवाहा	ग्राम- हैंसी पोस्ट- पारा, गाजीपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	राजेन्द्र सिंह कुशवाहा	श्री कतवारू सिंह कुशवाहा	ग्राम- नसीरपुर पोस्ट- जलालाबाद, गाजीपुर	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	संजय सिंह कुशवाहा	श्री उमाशंकर सिंह कुशवाहा	ग्राम- हैंसी पोस्ट- पारा, गाजीपुर	प्रबन्धक/सचिव	समाज कार्य
4.	नरेन्द्र कुमार वर्मा	श्री रामसिंह कुशवाहा	ग्राम- मेहदीपुर पोस्ट- धामूपुर, गाजीपुर	उपप्रबन्धक	समाज कार्य
5.	श्रीमती शीला कुशवाहा	श्री संजय सिंह कुशवाहा	ग्राम- हैंसी पोस्ट- पारा, गाजीपुर	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा	श्री बुद्धिराम मौर्य	ग्राम- नसीरपुर पोस्ट- जलालाबाद, गाजीपुर	सदस्य	कृषि
7.	आशुतोष सिंह कुशवाहा	श्री उमाशंकर सिंह कुशवाहा	ग्राम- हैंसी पोस्ट- पारा, गाजीपुर	सदस्य	कृषि
8.	सुनिल कुमार कुशवाहा	श्री उमाशंकर सिंह कुशवाहा	ग्राम- हैंसी पोस्ट- पारा, गाजीपुर	सदस्य	कृषि
9.	दीवाकर सिंह कुशवाहा	श्री राजेन्द्र कुशवाहा	ग्राम- नसीरपुर पोस्ट- जलालाबाद, गाजीपुर	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति–पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

	नाम	हस्ताक्षर
1.	उमाशंकर सिंह कुशवाह	उमाशंकर सिंह कुशवाह
2.	राजेन्द्र सिंह कुशवाहा	राजेन्द्र सिंह कुशवाहा
3.	संजय सिंह कुशवाहा	संजय सिंह
4.	नरेन्द्र कुमार वर्मा	नरेन्द्र प्रसाद वर्मा
5.	श्रीमती शीला कुशवाहा	शीला
6.	सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा	सुरेन्द्र कुशवाहा
7.	आशुतोष सिंह कुशवाहा	आशुतोष
8.	सुनिल कुमार कुशवाहा	सुनील कुमार
9.	दीवाकर सिंह कुशवाहा	दीवाकर

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसाइटी उ०प्र० वाराणसी क्षेत्र वाराणसी — सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज एवं
चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

Scanned by PDF Scanner

नियमावली

1– संस्था का नाम– पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास एवं जनकल्याण संस्थान
2– संस्था का पूरा पता– ग्राम– हँसी, पोस्ट–पारा मुहम्मदाबाद, जनपद– गाजीपुर (उ.प्र.)
3– संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत ।

4– संस्था के सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग –

संस्था की सदस्यता निम्नवत होगी।

(अ) आजीवन सदस्य – वे व्यक्ति जो संस्था को 1000/– रू. नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल अचल से सम्पत्ति एक बार में देंगे, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

(ब) सामान्य सदस्य – वे व्यक्ति जो संस्था को 101 रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे, वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

(स) संरक्षक सदस्य – वे समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए तन, मन एवं धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्रदान करेंगे, वे संस्था के प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से संरक्षक सदस्य मनोनीत कर लिए जायेंगे।

5– सदस्यता की समाप्ति – निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
2. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर।
3. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
4. किसी सदस्य के स्वयं के लिखित त्याग–पत्र देने पर।
5. किसी सदस्य के संस्था के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने पर।
6. किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न देने पर।
7. बिना कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

6. संस्था के अंग– संस्था के दो अंग होंगे।

1. साधारण सभा। 2. प्रबन्धकारिणी समिति।

7. साधारण सभा :–

अ–गठन :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. 4 के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा

ब– बैठकें :– साधारण सभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स–सूचना अवधि : – साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द– गणपूर्ति :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को कम से कम 2/3 उपस्थिति में साधारण सभा सभी ब्रैठकों की गणपूर्ति मानी जायेगी।

य– वार्षिक अधिवेशनः– संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष जून माह में आयोजित किया जायेगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

1. संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्य कलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान करना।
2. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव नियमानुसार करना।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

Scanned by PDF Scanner

8. प्रबन्धकारणीय समिति :–

अ–गठन :– संस्था के साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उप प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष के अलावा 4 प्रबंध समिति के सदस्य होंगे।

ब–बैठक :– प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

स–सूचना अवधि :– प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से दो दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द–गणपूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कम से 2/3 उपस्थिति में प्रबंध समिति के सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

य–रिक्त स्थानों की पूर्तिः–प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव साधारण सभा के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए कर लिया जायेगा।

र–प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृति करना।
2. संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए उपसमितियों का गठन करना।
3. संस्था के लिए सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत वित्तीय संस्थाओं आदि से धन एवं अनुदान प्राप्त करना।
4. संस्था के लिए चल–अचल सम्पत्तिों की व्यवस्था करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि के निर्णय लेना।
6. अन्य सभी कार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में आवश्यक हो।

ल– कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –

अध्यक्ष :–

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग से निर्णायक मत देना।
3. बैठक करने के लिए प्रबन्धक/सचिव के राय से तिथि एवं दिन का अनुमोदन करना व परिवर्तन करना।
4. आवश्यक कागजातों, प्रपत्रों आदि पर प्रबंधक/सचिव के साथ हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगा।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

प्रबन्धक :–

1. संस्था के लिए अनुदान, दान, चन्दे एवं सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना।
2. आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष बैठक बुलाना, कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना।
3. बैठक करने के लिए सभी सदस्यों को सूचनाएं देना तथा बैठक में की गई कार्यवाही को लिखना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज एवं
चिट्स, उ० प्र०, वाराणसी

Scanned by PDF Scanner

4. संस्था से सम्बन्धित कागजातों, प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृति करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
7. आय–व्यय का हिसाब–किताब तैयार करवाना तथा आडिट कराना।
8. संस्था के विकास एवं विस्तार के लिए सम्पर्क स्थापित करना तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
9. अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
10. समय–समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव व निर्देश देना।
11. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

उपप्रबंधक :— प्रबंधक / सचिव के अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके निर्देशों का पालन करना।

कोषाध्यक्ष :—
1. संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना।
2. आय–व्यय का हिसाब–किताब तैयार करना।
3. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो उन्हें अध्यक्ष एवं प्रबंधक / सचिव द्वारा सौंपे जाय।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :—

साधारण सभा के 2 / 3 बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11. संस्था का कोष :— किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :— (आडिट)

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराई जायेगी।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :—

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख :— संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होंगे–
1. कार्यवाही रजिस्टर ।
2. सदस्यता रजिस्टर।
3. स्टाक रजिस्टर।
5. कैश बुक आदि होंगे।

सत्य प्रतिलिपि

15. संस्था का विघटन :— संस्था का विघटन और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजि. अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

Scanned by PDF Scanner